विषय : राजभाषा का संक्षिप्त परिचय

राजभाषा का अर्थ → राज्य की भाषा अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि राज्य की भाषा को राजभाषा कहते हैं। एक विद्वान आलोचक के अनुसार, "देश की राजकीय व्यवस्था के राजकाज को चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं।"

परिभाषा → यूनेस्को के अनुसार विशेषज्ञों ने कहा, "उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो।"

राजभाषा का स्वरूप → राजपूत शासन काल में तत्कालीन हिन्दी भाषा राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी। इसके बाद भारत में विदेशी शासकों का आक्रमण हुआ और मुगल शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। अन्ततः 14 सितम्बर, 1949 को संविधान में हिन्दी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई और 26 जनवरी 1950 को यह भारत की राजभाषा बन गई।

राजभाषा की शर्तें → (1) राजभाषा वही भाषा हो सकती है, जिसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सकें।
(2) ऐसी राजभाषा सम्पूर्ण देश में राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक सम्पर्क का माध्यम होनी चाहिए।

Scanned by CamScanner

विषय:- राष्ट्रभाषा का संक्षिप्त परिचय

राष्ट्रभाषा का अर्थ

आज के युग में विभिन्न राष्ट्रों का गठन इस प्रकार से हो गया है कि इसमें अनेक प्रकार की भाषाओं का व्यवहार करने वाले लोग भी समाविष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में पूरे देश की व्यवहारिक सुविधाओं को सामने रखते हुए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता हो सकती है जो सारे राष्ट्र की भाषा कहलाए।

परिभाषा

इस संदर्भ में डॉ. द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने उचित ही लिखा है – "जो भाषा किसी राष्ट्र के भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के पारस्परिक विचार-विनिमय का साधन बनती हुई सम्पूर्ण राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं।"

राष्ट्रभाषा का स्वरूप

आज हमारे देश की अखण्डता के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी की विशेष आवश्यकता है। इसलिए महात्मा गाँधी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा हिन्दी के बिना राष्ट्र गूंगा है। इसी लक्ष्य को सामने रखकर संविधान के अनुच्छेद 343 में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी में आशातीत उन्नति प्राप्त की है। भारत की भाषाओं में हिन्दी ही केवल एक ऐसी भाषा है, जो देश-विदेश में बोली और समझी जाती है।

Scanned by CamScanner